सदस्यों की दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता

DISQUALIFICATION OF MEMBERS ON GROUND OF DEFECTION

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
2012

प्रस्तावना

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के द्वारा, जो 1 मार्च, 1985 को प्रवृत्त हुआ था, संविधान में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी एक नया उपबंध सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया था और उसमें दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया था।

संविधान की दसवीं अनुसूची का पैरा 8(1) दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों को इस अनुसूची के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 बनाये थे। ये नियम 18 मार्च, 1986 से प्रवृत्त हुए थे।

इस पुस्तिका में संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित संविधान की दसवीं अनुसूची तथा राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 के सुसंगत उपबंध (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) अंतर्विष्ट हैं।

नई दिल्ली;
30 मार्च, 2012

विवेक कुमार अग्निहोत्री,
महासचिव।

PREFACE

By the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, which came into force on the 1st March, 1985, a new provision as to disqualification on ground of defection has been incorporated in the Constitution. The Act amended articles 101, 102, 190 and 191 of the Constitution and added to Tenth Schedule thereto.

Paragraph 8(1) of the Tenth Schedule to the Constitution empowers the Presiding Officers of two Houses to make rules for giving effect to the provisions of this Schedule. In exercise of this power Chairman, Rajya Sabha, framed the Members of Rajya Sabha (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1985. These Rules came into force with effect from the 18th March, 1986.

This booklet contains the relevant provisions of articles 101 and 102 of the Constitution, as amended by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, the Tenth Schedule to the Constitution as amended by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003 and the Members of Rajya Sabha (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1985 (both in English and Hindi).

NEW DELHI;
30 March, 2012

V. K. AGNIHOTRI,
Secretary-General.

विषय-सूची

CONTENTS

			पृष्ठ PAGES
1.		(क) संवैधानिक उपबन्ध	1—7
		(ख) राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985	11—21
1.	(a)	Constitutional Provisions	25—31
	(b)	The Members of Rajya Sabha (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1985	35—45

संवैधानिक उपबन्ध

दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता

———————

संवैधानिक उपबंध

अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना—

(1) * * * *

(2) * * * *

(3) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य—

(क) [1][अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) या खण्ड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) * * * *

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

* * * *

(4) * * * *

अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निरर्हताएं

(1) * * * *

[2][(2) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।]

---

[1] संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित।

'दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]

दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबन्ध

निर्वचन।

1. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सदन'' से, यथास्थिति, संसद् का कोई सदन या किसी राज्य की विधान सभा या, विधान-मंडल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो पैरा 2 या [1][xxx] पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, ''विधान दल'' से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, ''मूल राजनीतिक दल'' से पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह सदस्य है;

(घ) ''पैरा'' से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

दल के परिवर्तन के आधार पर निरर्हता।

2. (1) [2][पैरा 4 और 5] के उपबंधों के अधीन रहते हुए सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

(क) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह सदस्य है अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, दोनों ही दशाओं में, ऐसे राजनीतिक दल,

---

[1] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा (1.1.2004 से) ''यथास्थिति पैरा 3 या'' शब्दों और अंकों का लोप कर दिया गया है।

[2] उक्त धारा 5 द्वारा ''पैरा 3, 4 और 5'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण— इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नाम-निर्देशित सदस्य के बारे में,—

(i) जहां वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नाम-निर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित किया गया है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नाम-निर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नाम-निर्देशित)—

(i) जहां वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित किया गया है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित किया गया है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है।

दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का दल विभाजन की दशा में लागू न होना।

3. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा निरसित कर दिया गया है।

दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय को लागू न होना।

4. (1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य—

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है;

और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पैरा 2 के

उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हो गया है, यह तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं।

छूट।

5. इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा—

(क) यदि वह ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय।

6. (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मण्डल की कार्यवाहियां हैं।

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

7. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

नियम।

8. (1) इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) रिपोर्ट जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, समय जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्टें दी जायेंगी;

(ग) ऐसी रिपोर्ट जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्टें दी जायेंगी; और

(घ) पैरा 6 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा बनाया गया नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में

अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। वह नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा जब तक कि उसका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वह नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिया जाता है तो वह, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वह रखा गया था या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिया जाता है तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह निदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जा सकेगी जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।'

राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985

राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985

राज्य सभा के सभापति भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 है।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समाचार'' से राज्य सभा समाचार अभिप्रेत है;

(ख) ''समिति'' से राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''सभा'' से राज्य सभा अभिप्रेत है;

(घ) ''प्ररूप'' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) इन नियमों के संबंध में, ''प्रारम्भ की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उप-पैरा (2) के अधीन प्रभावी होंगे;

(च) किसी विधान-दल के संबंध में, ''नेता'' से उस दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उस दल के नेता के रूप में कार्य करने, या उसके कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(छ) ''सदस्य'' से राज्य सभा का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) ''दसवीं अनुसूची'' से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) ''महासचिव'' से राज्य सभा का महासचिव अभिप्रेत है; और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो महासचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है।

विधान-दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना।

3. (1) प्रत्येक विधान-दल का नेता (ऐसे विधान-दल से भिन्न, जिसमें केवल एक सदस्य हो) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर या, जहां ऐसे विधान-दल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है वहां उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर, अथवा दोनों ही दशाओं में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी सभापति पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, सभापति को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(क) (लिखित रूप में) एक विवरण जिसमें ऐसे विधान-दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप 1 में हैं और दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सभापति से पत्रव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो); और

(ग) जहां ऐसे विधान-दल के कोई पृथक नियम और विनियम हैं, (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।

(2) जहां किसी विधान-दल में केवल एक सदस्य है, वहां ऐसा सदस्य इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसी तारीख के बाद सभा का सदस्य बना है, वहां सभा में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा दोनों ही दशाओं में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी सभापति पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, सभापति को उपनियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा।

(3) ऐसे किसी विधान-दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उपनियम, (1) के उपबंध ऐसे विधान-दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानो वह विधान-दल उस तारीख को बनाया गया है, जिसको उसकी संख्या में वृद्धि है।

(4) जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उपनियम (1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उपनियम (2) के अन्तर्गत दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात् यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में उस तारीख से, जिसको ऐसा परिवर्तन किया गया है, तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी सभापति पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, सभापति को ऐसे परिवर्तन की लिखित जानकारी देगा।

(5) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सभा में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, वहां संबंधित विधान-दल का नेता या जहां ऐसा सदस्य ऐसे विधान-दल का, यथास्थिति, नेता या एकमात्र सदस्य है वहां ऐसा सदस्य उसके पश्चात् यथाशीघ्र और किसी दशा में ऐसा मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के तीस दिन के भीतर, प्ररूप 2 के अनुसार, सभापति को यह जानकारी देगा कि ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं।

स्पष्टीकरण—किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जाएगा जब वह मतदान करने के लिए हकदार होते हुए स्वेच्छा से मतदान से विरत रहता है।

सदस्यों द्वारा जानकारी आदि का दिया जाना।

4. (1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति सभापति पर्याप्त कारण से दे, प्ररूप में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा महासचित को भेजेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इन नियमों के आरंभ के पश्चात् सभा में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, महासचिव के पास, यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाणपत्र या उसे सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा कराएगा और प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा महासचिव को देगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''निर्वाचन प्रमाणपत्र'' से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिया गया निर्वाचन प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे, उसका संक्षेप समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और यदि सभापति के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बताई जाती है तो समाचार में आवश्यक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जाएगा।

सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर।

5. (1) महासचिव प्ररूप 4 में एक रजिस्टर रखेगा जो सदस्यों के संबंध में नियम 3 और नियम 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।

निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना।

6. (1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) किसी सदस्य के संबंध में अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा सभापति को लिखित रूप में दी जा सकेगी।

(3) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पहले, अर्जीदार अपना यह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

(4) (क) प्रत्येक अर्जी में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है; और

(ख) प्रत्येक अर्जी के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है, और जहां अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गयी किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहां उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(5) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(6) अर्जी के प्रत्येक उपाबन्ध पर भी अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जाएगा।

7. (1) नियम 6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर, सभापति इस बात पर विचार करेगा कि क्या अर्जी उस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है। प्रक्रिया।

(2) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो सभापति अर्जी को रद्द करेगा और अर्जीदार को तद्नुसार सूचित करेगा।

(3) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है तो सभापति, अर्जी और उसके उपाबंधों की प्रतियां—

(क) उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है; और

(ख) जहां ऐसा सदस्य किसी विधान-दल का है और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नहीं दी है वहां ऐसे नेता को भी,

अग्रेषित करवाएगा और ऐसा सदस्य का नेता, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी सभापति पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणी सभापति को भेजेगा।

(4) अर्जी के संबंध में, (चाहे मूलत: या उक्त उपनियम के अधीन विस्तारित) अनुज्ञात अवधि के भीतर, उपनियम (3) के अधीन प्राप्त टिप्पणी पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सभापति उस प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा या, यदि उसका उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अर्जी की प्रारंभिक जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यह समिति को निर्देशित करेगा।

(5) सभापति, उपनियम (4) के अधीन समिति को अर्जी निर्देशित करने के पश्चात् यथाशीघ्र अर्जीदार को तदनुसार सूचित करेगा और ऐसे निर्देश के संबंध में सदन में घोषणा करेगा या, यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की जानकारी समाचार में प्रकाशित करवाएगा।

(6) जहां सभापति समिति को उपनियम (4) के अधीन निर्देश करता है वहां वह समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस प्रश्न का अवधारण करेगा।

(7) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण सभापति उपनियम (4) के अधीन किसी प्रश्न के अवधारण के लिए करेगा और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति प्रारंभिक जांच करने के प्रयोजन के लिए करेगी, जहां तक हो सके, वही प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया किसी सदस्य द्वारा सभा के विशेषाधिकार के भंग किये जाने के बारे में किसी प्रश्न का समिति द्वारा अवधारण करने के लिए लागू है और सभापति या समिति इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेंगे जब उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और वैयक्तिक रूप से सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया हो।

अर्जी पर विनिश्चय।

8. (1) अर्जी पर विचार पूरा होने के पश्चात्, सभापति लिखित आदेश द्वारा—

(क) अर्जी को खारिज करेगा; या

(ख) यह घोषणा करेगा कि वह सदस्य जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है,

और उस आदेश की प्रतियां अर्जीदार को, उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, और संबंधित विधान-दल के नेता को, यदि कोई हो, परिदत्त या अग्रेषित करवाएगा।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है, सभा को, यदि सभा सत्र में है तो तुरन्त रिपोर्ट किया जाएगा, और यदि सभा सत्र में नहीं है तो सभा के पुनः समवेत होने के तुरन्त पश्चात् रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा महासचिव उस विनिश्चय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

9. सभापति समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझे। इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे में निदेश।

प्ररूप-1

[नियम 3(1) **देखिए**]

विधान-दल का नाम:

तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम:

क्रम सं॰	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	किस राज्य से निर्वाचित है
1	2	3	4	5

तारीख:

विधान-दल के नेता के हस्ताक्षर

प्ररूप–2

[नियम 3 (5) **देखिए**)]

सेवा में,

सभापति,
राज्य सभा।

महोदय,

सभा की ---------- (तारीख) को हुई बैठक में ---------- (विषय) पर हुए मतदान में

†श्री ---------- संसद सदस्य ने जिनकी विभाजन संख्या ---------- है और जो ---------- (राजनीतिक दल का नाम) के सदस्य हैं तथा जो ---------- (विधान दल का नाम) के सदस्य हैं।

†मैंने, अर्थात् ---------- (सदस्य का नाम), संसद सदस्य ने जिसकी विभाजन संख्या ---------- है और जो ---------- (राजनीतिक दल का नाम) का सदस्य हैं तथा जो ---------- (विधान दल का नाम) का नेता/एकमात्र सदस्य है।

---------- ** (†व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा दिए गए निदेशों के विरुद्ध उक्त† व्यक्ति/प्राधिकारी/दल की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना मतदान किया है/ मतदान नहीं किया है।

2. ---------- (तारीख) को पूर्वोक्त मामले पर ---------- **(†व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त †मतदान/मतदान करने से विरत† रहने को, उसके द्वारा माफ† किया गया/माफ नहीं किया गया।

भवदीय

तारीख: (हस्ताक्षर)

---

† *अनुपयुक्त शब्दों/अंश को काट दें।*

** *(यहां पर, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति/प्राधिकारी/दल का नाम लिखें जिसने निदेश दिया है।)*

प्ररूप-3

[नियम 4 **देखिए**]

1. सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. पिता / पति का नाम

3. स्थायी पता

4. दिल्ली का पता

5. निर्वाचन / नाम-निर्देशन की तारीख

6. जिस दल से सम्बद्ध है/हैं—

(i) निर्वाचन/नाम-निर्देशन की तारीख को

*(ii) 28 फरवरी, 1985 को

(iii) इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने की तारीख को

घोषणा

मैं---------- यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, मैं सभापति महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं।

तारीख: **सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

---

*1 मार्च, 1985, अर्थात् संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्यों द्वारा भरा जाएगा।

प्ररूप–4

[नियम 4 (1) **देखिए**]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	दिल्ली का पता	किस राज्य से निर्वाचित है	निर्वाचन/ नाम–निर्देशन की तारीख	सभा में स्थान ग्रहण करने की तारीख	कार्यकाल प्रारंभ होने की तारीख	जिससे वह संबद्ध है, उस राजनीतिक दल का नाम	जिससे वह संबद्ध है, उस विधान–दल का नाम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11